"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018 — ज्येष्ठ 4, शक 1940

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-35/गृह-सी/2018. — शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का सं. 19) की धारा-2 के खण्ड 8 के उप-खण्ड (ग) तथा (घ) सहपठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस. ओ. 1285, दिनांक 04 मई, 1963 तथा मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 28) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, गुजरा, लखौली एवं देवदा, तहसील आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित पीओएल संस्थापन क्षेत्र, जो कि इंडियन ऑयल टेंकिंग लिमिटेड (आईओटी) है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस आधार पर "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती है कि उसके संबंध में जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसके साथ हस्तक्षेप शत्रु के लिये उपयोगी होगा.

No. F-4-35/Home-c/2018. — In exercise of the powers conferred by sub-clause (c) and (d) of clause 8 of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (No. 19 of 1923), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S. O. 1285, dated the 4th May, 1963 and Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the Government of Chhattisgarh, Hereby, declares the POL Installation Area, situated in Gujra, Lakholi and Devda, Tehsil Arang, Dist. Raipur, Chhattisgarh, which is Indian oil Tanking Limited (IOT), to be a "Prohibited Place" for the purposes of the said Act on the ground that information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.